

प्रेस विज्ञप्ति

श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय का रिजर्व पुलिस लाईन आजमगढ़ सभागार में किया गया विदाई समारोह आयोजन

➡श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ श्री अखिलेश कुमार के ई0ओ0डब्ल्यू0, उ0प्र0, लखनऊ स्थानान्तरण होने के पश्चात आज दिनांक 25.06.2024 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य के निर्देशन में पुलिस लाइन स्थित सभागार में एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया।

➡इस दौरान पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य, अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेन्द्र लाल, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात विवेक त्रिपाठी, सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर शुभम अग्रवाल एवं समस्त क्षेत्राधिकारी, समस्त थाना प्रभारी व अन्य अधि0/कर्म0गण मौजूद रहे।

➡श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट किया गया तथा विदाई समारोह में उपस्थित सभी अधिकारियों द्वारा माल्यार्पण कर विदाई किया गया।

थाना मुबारकपुरदुकानदार से मार-पीट करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना— दिनांक 17.06.2024 को वादी मुकदमा लाल बिहारी मद्धेशिया पुत्र स्व0 मोतीचन्द मद्धेशिया निवासी मोहल्ला पुरारानी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि 1.शमीम पुत्र मो0 अब्बास व 2.नईम पुत्र गुड्डू व 3.नसीम के मित्र नाम पता अज्ञात वादी की दुकान पर चाय नाश्ता किये और पैसा मांगने पर गाली गलौज देते हुए मारे पिटे एवं जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध मे लिखित तहरीर दिये जिसके आधार पर थाना हाजा पर मु0अ0सं0- 234/2024 धारा 323/504/506 भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण— दिनांक 24.06.2024 को उ0नि0 संजय कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तो 1. शमीम अख्तर पुत्र मो0 अब्बास निवासी ग्राम इस्लामपुरा, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 42 वर्ष, 2. नूरे असलम पुत्र शब्बीर अहमद निवासी ग्राम इस्लामपुरा, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष को रोडवेज मुबारकपुर से समय करीब 16.00 बजे गिरफ्तार किया गया अभियुक्तों के पास से कुल 980/- रुपये बरामद हुये। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. शमीम अख्तर पुत्र मो0 अब्बास निवासी ग्राम इस्लामपुरा, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 42 वर्ष।
2. नूरे असलम पुत्र शब्बीर अहमद निवासी ग्राम इस्लामपुरा, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष।

बरामदगी- शमीम से 500/- रूपया तथा नूरे असलम से 480 रूपये बरामद

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 234/2024 धारा 323/504/506/392/411 भादवि0 थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 संजय कुमार सिंह, का0 सत्यम सिंह, का0 सुजीत यादव व का0 विनय यादव थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

थाना अतरौलिया

अवैध तमन्चा-कारतूस व चोरी की मोटर साइकिल के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार; अवैध-तमन्चा कारतूस व चोरी की 03

मोटर साइकिल बरामद

पूर्व की घटना- दिनांक 11.06.2024 को वादी मुकदमा गोपाल निषाद पुत्र किन्नु निषाद ग्राम खानपुर फतेह थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया कि वादी अपनी मोटर साइकिल खडा करके दुकान से सामान लेने लगा की वादी की मोटर साइकिल कोई अज्ञात चोर चोरी कर लिया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 210/24 धारा 379 भादवि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत विवेचना प्रारम्भ किया गया।

➡ दिनांक 20.06.2024 को वादी मुकदमा वीरेन्द्र कुमार S/0 सूर्यबली ग्रा0 रामडीह सराय पो0 शुक्लबाजार थाना बसखारी जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया कि वादी अपनी मोटर साइकिल हास्पिटल के बाहर खड़ी करके मरीज देखने अन्दर गया था कि किसी अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 223/24 धारा 379 भादवि0 बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत किया गया।

➡ दिनांक 22.06.2024 को वादी मुकदमा मोहम्मद रासो S/0 मोहम्मद आफत ग्राम चतुरपुर खास थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ अपने घर वापस आ रहा था कि रास्ते में तेजापुर स्कूल के पास अपनी मोटर साइकिल खड़ी करके शौच करने चला गया वापस आकर देखा तो किसी अज्ञात चोर द्वारा वादी की गाडी चोरी कर लिया गया है जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 223/24 धारा 379 भादवि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत विवेचना प्रारम्भ किया गया।

➡ दौरान विवेचना मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तों 1. संदीप पुत्र राम केवल ग्राम मीरपुर थाना अतरौलिया आजमगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष, 2. अंकित सिंह उर्फ गुलशन सिंह पुत्र भारत भूषण सिंह ग्रा0 मीरपुर थाना अतरौलिया आजमगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष का नाम प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 25.06.2024 को उ0नि0 मो0 शाहिद खान मय हमराह छितौनी तिराहे पर सन्दिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग के दौरान सूचना प्राप्त हुआ कि 02 अभियुक्त चोरी की 01 मोटर साइकिल के साथ सिकन्दरपुर चौराहे से गुजरने वाले है। इस सूचना पर उ0नि0 मो0 शाहिद खान मय हमराह द्वारा सिकन्दरपुर चौराहे पर चेकिंग प्रारम्भ किया गया चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्त 1. संदीप पुत्र राम केवल ग्राम मीरपुर थाना अतरौलिया आजमगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष, 2. अंकित सिंह उर्फ गुलशन सिंह पुत्र भारत भूषण सिंह ग्रा0 मीरपुर थाना अतरौलिया आजमगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष जिनकी जामा तलाशी के दौरान अभियुक्त अंकित सिंह के पास से 01 तमंचा व 01 कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों को समय करीब 07:25 बजे गिरफ्तार कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 235/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

➡ गिरफ्तार अभियुक्तों की निशादेही पर चोरी की 02 मोटर साइकिल ग्राम मीरपुर ट्यूबेल के पास से बरामद कर गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

➡ पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि दिनांक 11.06.2024 को 01 मोटर साइकिल अतरौलिया बाजार से दिनांक 20.06.2024 को शैय्या अस्पताल से तथा दिनांक 22.06.2024 को तेजापुर विद्यालय के पास से 01 मोटर साइकिल चोरी किये थे।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 235/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ बनाम अंकित सिंह उर्फ गुलशन सिंह पुत्र भारत भूषण सिंह ग्रा0 मीरपुर थाना अतरौलिया आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

- 1 संदीप पुत्र राम केवल ग्राम मीरपुर थाना अतरौलिया आजमगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष,
2. अंकित सिंह उर्फ गुलशन सिंह पुत्र भारत भूषण सिंह ग्रा0 मीरपुर थाना अतरौलिया आजमगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0- 210/24 धारा 379 /411/413 भादवि0 थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0- 223/24 धारा 379 /411/413 भादवि थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़
3. मु0अ0सं0- 229/24 धारा 379 /411/413 भादवि थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़
4. मु0अ0सं0- 235/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ बनाम अंकित सिंह उर्फ गुलशन सिंह पुत्र भारत भूषण सिंह ग्रा0 मीरपुर थाना अतरौलिया आजमगढ़

बरामदगी- 03 मोटर साइकिल, 01 तमंचा, 01 कारतूस व.315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 मो0 शाहिद खां, हे0का0 कालीशंकर यादव, का0 बबलू कुमार, का0 रामसावर, का0 रमेश कुमार थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।

प्रेस विज्ञप्ति

रिजर्व पुलिस लाईन आजमगढ़ में 135 पुलिस कर्मियों को दिया गया नये कानून का प्रशिक्षण

पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ के निर्देश के क्रम में आज दिनांक 25.06.2024 को **पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य** के निर्देशन में रिजर्व पुलिस लाईन आजमगढ़ स्थित सभागार में **भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधि0 2023** के नये कानून का प्रशिक्षण अपर निदेशक अभियोजन भानू प्रताप पाण्डेय, संयुक्त निदेशक अभियोजन राम सजीवन वर्मा, श्रेष्ठ अभियोजन अधिकारी समशाद हसन, अभियोजन अधिकारी विपिन चन्द्र भास्कर, अभियोजन अधिकारी अमन प्रसाद अमन, सहायक अभियोजन अधिकारी शैलेश पटेल व प्रभास रंजन गुप्ता व अन्य अभियोजन अधिकारियों के द्वारा पुलिस कर्मियों को दिया गया।

➡ ***अपर निदेशक अभियोजन भानू प्रताप पाण्डेय व संयुक्त निदेशक अभियोजन राम सजीवन वर्मा*** के द्वारा भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधि0 2023 के नये कानून का प्रशिक्षण पुलिस कर्मियों को दिया गया तथा मा0 सर्वोच्च न्यायालय व मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयो व नवीनतम शासनादेशो के बारे में अवगत कराया गया।

➡ श्रेष्ठ अभियोजन अधिकारी समशाद हसन द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सम्बन्ध में पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया।

➡ अभियोजन अधिकारी विपिनचन्द्र भास्कर के द्वारा भारतीय न्याय संहिता 2023 के नये कानून प्रशिक्षण पुलिस कर्मियों को दिया गया।

➡ सहायक अभियोजन अधिकारी प्रभास रंजन गुप्ता के द्वारा भारतीय साक्ष्य अधि0 2023 के नये कानून का प्रशिक्षण पुलिस कर्मियों को दिया गया।

➡ उक्त प्रशिक्षण में अभियोजन कार्यालय, पुलिस कार्यालय, पुलिस लाईन एवं जनपद के समस्त थानो से लगभग 135 पुलिस कर्मी (प्रधान लेखक, मुख्य आरक्षी व आरक्षीगण) प्रतिभाग कर प्रशिक्षण प्राप्त किये।